

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार
निवारण) अधिनियम, बहराइच।

जे०ओ०कोड संख्या यू०पी० 2735,
(सी.एन.आर.नं०यू०पी०बी.एच.010034692026)

प्रकीर्ण दाण्डिक वाद संख्या-310/12/2026

दुखीराम

बनाम

अर्जुन सिंह आदि ।

अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस०

थाना कैसरगंज, जनपद बहराइच।

14.07.2026

पत्रावली पेश हुई। बार-बार पुकार करायी गयी। आवेदक की तरफ से कोई
उपस्थित नहीं है।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र पर बल देने के लिए आवेदक
अथवा उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र पर बल न दिये जाने के कारण खारिज
किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी०एन०एस०एस० बल न दिये जाने के कारण
खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(पवन कुमार शर्मा-॥)

विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं
अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, बहराइच।